राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 206 सितम्बर 2016 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

संपादकीय

भारत में तलाक एक बोझिल, लम्बी चलने वाली और पीड़ादायक प्रक्रिया है। भारतीय जनमानस के अनुरूप कि विवाह पवित्र बंधन होते हैं और उनमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हों, कोर्ट दंपती को तलाक देने के विरुद्ध होते हैं यहां तक कि उन्होंने सहमति से अलग रहने का निर्णय क्यों न कर लिया हो। इस प्रकार के दृष्टिकोण से न केवल वयस्कों के साथ बच्चों सा व्यवहार होता है अपितु कोर्ट के अपने काम में भी रूकावट आती है।

तथापि, अपने हाल के निर्णय में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई विवाहित दंपती आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं तो यह कोर्ट का काम नहीं है कि वह उनके निर्णय के कारण को जानने पर जोर देकर उन्हें न्यायिक अलगाव के लिए मना करें।

यह नोट करते हुए कि कोर्ट तथ्य जानने वाले प्राधिकारी की तरह काम नहीं कर सकता है, दो जज वाली डिवीजन बेंच ने कहा, "यदि विवाह असफल हो जाता है और दोनों पक्ष वैवाहिक बंधन को समाप्त करना चाहते हैं तो कोर्ट को उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए और तलाक देना चाहिए।" विधायिका का मन्तव्य तलाक देने से इंकार नहीं है बावजूद इसके कि दोनों पक्षों ने सोच समझकर अलग होने का निर्णय लिया है।

तिरुनेलवेली में एक पारिवारिक कोर्ट पर तीखी टिप्पणी करते हुए, जिसने एक दंपती द्वारा जो जुलाई 2014 से अलग रह रहे थे, दायर संयुक्त तलाक के आवेदन को खारिज कर दिया था, न्यायाधीशों ने कहा, "जब एक बार यकीन हो जाए कि दोनों पक्षों के लिए साथ रहना संभव नहीं है, और उन्होंने शांतिपूर्वक विवाह को समाप्त करने का फैसला किया है तो कोर्ट की

चर्चा में परेशानी मुक्त तलाक

कोशिश उनको तलाक की डिक्री देने की होनी चाहिए न कि उन्हें इसके बाद भी अलग रहने को मजबूर किया जाए।"

पारिवारिक कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए, जिसने इस आधार पर याचिका रद्द कर दी थी कि पक्षों के साथ न रह पाने का कोई कारण नहीं दिया था, बेंच ने कहा, "कारण चाहे कुछ भी हो, मनोवैज्ञानिक या अन्य, यह स्थापित हो गया है कि दोनों पक्ष साथ नहीं रह सकते और वे आपस में सहमत हो गए हैं कि उनके विवाह को भंग कर दिया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 13बी में यह दिया हुआ है और जब इस धारा के प्रावधानों को संतुष्ट किया जाता है तो पक्षों की इच्छाओं के विरुद्ध संयुक्त याचिका को खारिज करना संभव नहीं है।"

हाल ही में, इसी तरह के एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने "पूर्ण न्याय" करने के लिए संविधान के अंतर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए छः महीने की इंतजार अवधि को समाप्त करते हुए तलाक के लिए संबंधविच्छेद वाले दंपती के अनुरोध को अनुमति दे दी है।

शीर्ष न्यायालय के एक दो जज बेंच ने दंपती को उनके अनेक वर्षों से चली आ रही मुकदमेबाजी, विवाह के कुछ दिनों के बाद अलग होने और दोनों पक्षों के अपना–अपना जीवन बिताने की इच्छा पर विचार करने के बाद दंपत्ती को राहत दी। बेंच ने कहा, "हमारा विचार है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का और इंतजार की सांविधिक अवधि को समाप्त करके पारस्परिक सहमति के द्वारा तलाक देने की डिक्री देने हेतु एक उपयुक्त मामला है।"

इस बात को स्वीकार किया जाता है कि भारत में यह समस्या इस तथ्य पर टिकी है कि अभी भी महिलाओं को पुरुष वर्चस्व समाज की नजर से देखा जाता है और उन्हें अपने पतियों पर निर्भर समझा जाता है। परन्तु सामाजिक वास्तविकता अब काफी बदल चुकी है और महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं। ऐसी स्थिति में किसी दंपती की आपसी सहमति से विवाह को समाप्त करना एक सामान्य बात है। कोर्ट को उनके रास्ते में रूकावट नहीं बनना चाहिए।

महत्वपूर्ण निर्णय

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पासपोर्ट प्राधिकारी दस्तावेज में पिता के नाम का उल्लेख करने पर जोर नहीं दे सकते क्योंकि पासपोर्ट में पिता के नाम पर जोर देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। कोर्ट, एक युवा द्वारा, जिसके पासपोर्ट का नवीकरण क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी द्वारा उसके जैविक पिता के नाम का उल्लेख न करने के लिए अस्वीकृत कर दिया गया था, दायर याचिका पर विचार कर रही थी।
- दिल्ली पुलिस ने पांच ऑल वुमैन पी.सी.आर. वैन योजना आरम्भ की है जो महिलाओं द्वारा आपात स्थिति में बुलाए जाने पर तुरंत आएगी। वैनों को दिल्ली विश्वविद्यालय और प्रमुख बाजारों में कॉलों की संख्या के आधार पर तैनात किया जाएगा। ये वाहन विज्ञान भवन, जीसस एंड मेरी कॉलेज, खान मार्केट मेट्रो स्टेशन, कस्तूरबा गांधी मार्ग में अमेरिकन सेंटर और मोती लाल नेहरू मार्ग के आस–पास गश्त करेंगे।

राष्ट्रीय महिला आयोग को अगस्त, 2016 में प्राप्त शिकायतें

महीना	प्राप्त शिकायतें	उन शिकायतों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई	बंद
अगस्त, 2016	1793	1666	777

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अगस्त, 2016 को 26 मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया

जेंडर जस्ट फूड एण्ड न्यूट्रीशियन सिक्यूरिटी इन इंडिया

दि इंडिया फूड सिक्यूरिटी पोर्टल ने नई दिल्ली में 'जेंडर जस्ट फूड एण्ड न्यूट्रीशियन सिक्यूरिटी इन इंडिया' पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में भारत में महिला और खाद्य सुरक्षा पर नवीनतम हाल के प्रमाण देने के लिए राष्ट्रीय नीति निर्माता, शोधकर्ता, दाता और कार्यान्वयन एजेंसियां एक साथ मिले। इससे चल रही स्थानीय नीति वाद–विवाद को योगदान मिलेगा। भारत की सरकार इस समय राष्ट्रीय महिला नीति 2016 को अंतिम रूप दे रही है जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषाहार, आर्थिक, शिक्षा, शासन और निर्णय लेने, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर जोर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने उद्घाटन सत्र में प्रमुख भाषण देते हुए कहा कि देश में शराबखोरी में बहुत तेजी के साथ वृद्धि हुई है और विकास का महिला पहलू देश के संपूर्ण विकास के साथ कदम नहीं मिला सका है। महिलाओं के क्षेत्रीय हाशिएकरण में वृद्धि हो रही है जबकि 50 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं की धन तक पहुंच और खर्च करने का अधिकार भी नहीं है। इससे उनके पास स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला असंतुलन की दिशा में काम कर रहा है और महिलाओं के लिए पोषाहार देने की आवश्यकता पर जोर दे रहा है।

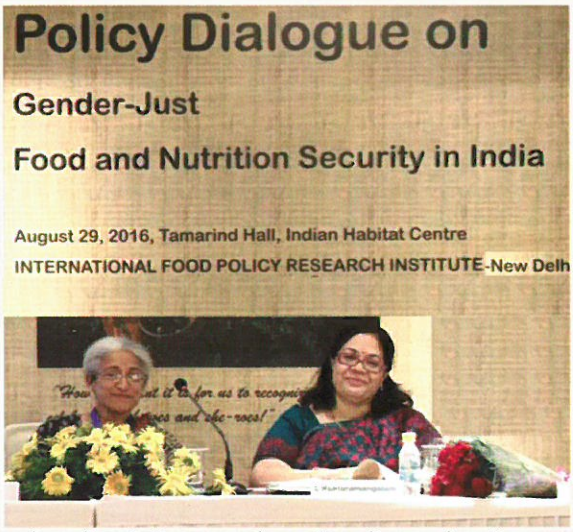

सम्मेलन में सुश्री नित्या राव और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा

मानसिक रोग शरणालय में महिलाओं की स्थिति

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग के कांफ्रेंस हाल में रा.म.आ. – निमहंस (एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस.) के शोध अध्ययन पर आधारित 'मानसिक रोग शरणालयों में महिलाओं की स्थिति को सुधारना' पर आधारित एक परामर्श सत्र का आयोजन किया। श्रीमती कृष्ण राज, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। अध्यक्षा ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए इस बात पर दुःख प्रकट किया कि समूचे देश में अनेक मानसिक रोग शरणालयों की स्थिति शोचनीय है। निमहंस से डॉ. प्रतिमा मूर्ति और उसकी टीम ने मानसिक रोग संस्थाओं में संवासियों की स्थिति सुधारने के लिए एक मॉडल कार्यवाही योजना प्रस्तुत की।

अनेक हितधारकों जैसे मानिसक रोग संस्थाओं, सिविल सोसायटी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल कल्याण विभाग और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने परामर्श सत्र के दौरान अपने विचार रखे। बाद में अनेक मुद्दों और इन संस्थाओं में भर्ती महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई ताकि संवासियों के भलाई कार्य पर निगरानी रखने के लिए कार्यवाही योजना प्रस्तुत की जा सके।

अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ से

आयोग ने प्रारूप विधान पर चर्चा करने और समीक्षा करने के लिए इंटरनेशनल चाइल्ड रिमूवल एंड रिटेंशन बिल, 2016 पर ललिता कुमारमंगलम की अध्यक्षता में नई दिल्ली में परामर्श सत्र का आयोजन किया। परामर्श सत्र में हितभागी विदेश मंत्रालय, तेलंगाना और पंजाब पुलिस, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तेलंगाना राज्य महिला आयोग, पंजाब में अनिवासी भारतीय कार्य के लिए आयोग, विधि–विशेषज्ञ और माताएं, जिनके बच्चों का अपहरण हुआ है, उपस्थित हुए।

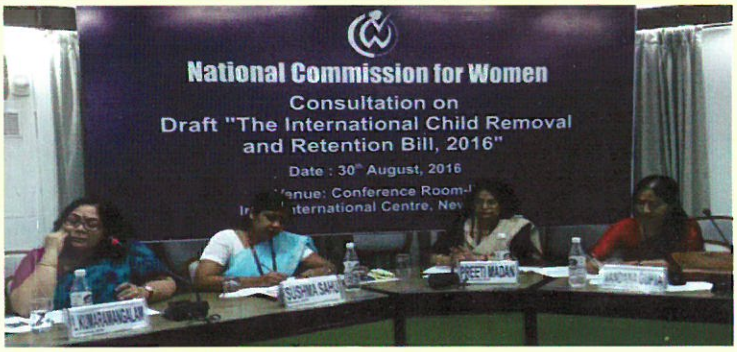

परामर्श सत्र में (बाएं से) राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, सदस्या सुषमा साहु, सदस्य सचिव प्रीति मदान, संयुक्त सचिव वंदना गुप्ता

क्या आप जानते हैं?

दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 31 जुलाई तक प्रत्येक पांच दिनों में दहेज विवाद के कारण दो महिलाओं की जानें गई। इस वर्ष दहेज के कारण होने वाली मौतों और पतियों और ससुराल वालों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के मामलों में 15 से 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

प्रजनन विनियमन और महिला स्वास्थ्य पर आई.सी.ओ.जी.–एफ.ओ.जी.एस.आई. राष्ट्रीय सम्मेलन

दि आबस्टीरिक्स एंड गायनिकोलॉजिकल सोसायटी ऑफ हैदराबाद ने हाल में हैदराबाद में प्रजनन विनियमन और महिला स्वास्थ्य पर आई.सी.ओ.जी.–एफ.ओ.जी.एस.आई. राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। भारत के लगभग 1000 स्त्री रोग चिकित्सकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

उद्घाटन समारोह में अध्यक्षा (बाएं से दूसरी) अन्य के साथ

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक गंभीर मानव अधिकार हनन है जिसकी शुरुआत लिंग चयन गर्भपात, शिशु हत्या, यौन दुराचार, बाल विवाह, आपस के संबंधियों में मैथुन, बाल वेश्यावृत्ति, एसिड फेंकना, मानव तस्करी, वैवाहिक बलात्कार से मानसिकी दुरुपयोग आदि, से होती है।

एफ.ओ.जी.एस.आई., दि फेडरेशन ऑफ आबस्ट्रीसियंस एंड गायनिकोलॉजिकल ऑफ इंडिया और एफ.आइ.जी.ओ., जो विश्व के प्रसव डॉक्टरों और स्त्री रोग चिकित्सकों का एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है इस मामले पर बोलने, जोर देने और इसके सभी हितभागियों के साथ मिलकर कार्य करने को प्रतिबद्ध हैं। जबकि एफ.आई.जी.ओ. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर एक अत्याधिक सक्रिय वर्किंग ग्रुप है, एफ.ओ.जी.एस.आई. के पास महिलाओं के विरुद्ध हिंसा प्रकोष्ठ है।

इस अवसर पर बोलती हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने कहा कि चूंकि 30 प्रतिशत महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ को एक महिला और पीड़िता अनुकूल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और ऐसी हिंसा को रोकने के लिए पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए। उद्घाटन सत्र के बाद अच्छी उपस्थिति में सार्वजनिक फोरम और साइक्लेथन हुआ जिसमें 300 पुरुषों, महिलाओं, लड़कों और लड़कियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और नारे लगाए और तख्तियों को पकड़े रखा। कॉलेज, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, मीडिया और महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों ने इस प्रयास में भाग लिया।

साहस की मिसाल

एक असाधारण साहस की मिसाल में दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन क्षेत्र में एक 26–वर्षीया पूर्वोत्तर महिला एक व्यक्ति से लड़ी जिसने उससे छेड़खानी करने की कोशिश की थी और उसे गिरफ्तार करा दिया। उसने आरोपी से जबरदस्त मुकाबला किया और शोर मचाया जिससे वहां से गुजरने वाले कुछ लोगों का ध्यान उस ओर आकृष्ट हुआ। महिला ने आरोपी को पकड़े रखा जिसे बाद में वहां पहुंची पी.सी.आर. वैन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी शिकायत पर, मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में धारा 354–ए के अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के संयुक्त आयुक्त रॉबिन हिबू, जो दिल्ली में पूर्वोत्तर लोगों के लिए नोडल अधिकारी भी हैं, उसके असाधारण साहस की सराहना की और कहा कि उसे एक प्रशंसा पत्र और 5000 रुपये का पुरस्कार एक समारोह में भेटों में दिया जाएगा।

लीक से हटकर कार्य

एक महिला ने बिहार के सासाराम में बारहखन्ना गांव में अपने घर के में एक शौचालय का निर्माण करने के लिए अपना 'मंगलसूत्र' गिरवी रखा जिसके बाद रोहतास जिला प्रशासन ने उसे संपूर्ण सफाई कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया। फूल कुमारी ने यह कदम तब उठाया जब वह रसोइए का काम करके पर्याप्त धन जुटाने में असफल रही थी।

स्वतः संज्ञान में लेना

● सदस्या रेखा शर्मा एक जांच समिति की अध्यक्षता की हैसियत में एक मीडिया रिपोर्ट "मानसिक रोगियों की गरिमा छीन ली गई, उन्हें नंगा रहना पड़ रहा है" की जांच करने के लिए बरहामपुर मानसिक रोग अस्पताल गई। रिपोर्ट में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल के बरहामपुर में एक मानसिक रोग शरणालय के लगभग 50 संवासियों को प्राधिकारियों के कथित निर्दयी रवैये के कारण नंगा रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उनमें से 20 महिलाएं है। उनका कहना है कि उनके कपड़ों में खटमल बेतहाशा हैं और इसलिए वे नंगा रहना चाहते है। बाद में आयोग ने अधीक्षक, बरहामपुर मानसिक रोगी अस्पताल को संवासियों की संख्या, उनकी केस हिस्ट्री और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में एक रिपोर्ट देने के लिए पत्र भेजा।

● आयोग ने एक रिपोर्ट को संज्ञान में लिया है जो "अलग–अलग एसिड हमले में दो महिलाएं जख्मी हुई" शीर्षक से अनेक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आई। इसमें यह रिपोर्ट की गई थी कि दो महिलाएं, जिनमें एक मुर्शिदाबाद में पातिका बाजार की

(Cont. on next page)

18 वर्षीया लड़की है और दूसरी जायनगर से 40 वर्षीया महिला है; उन पर एसिड हमले के कारण वे जख्मी हो गई थी। सदस्या रेखा शर्मा जांच समिति की अध्यक्षा की हैसियत से मामले की जांच करने के लिए मुर्शिदाबाद गई।

● एक मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सदस्या रेखा शर्मा सुश्री गीता राठी जे.टी.ई. (विधि) के साथ "एक भयावह रात में दंपत्ती की हत्या की गई, उनकी भतीजियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया" शीर्षक से प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट की जांच करने के लिए मेवात गई। इसमें कहा गया था कि नकाबपोश सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा एक दंपत्ति की हत्या कर दी गई थी और उनकी दो भतीजियों के साथ कथित सामूहिक बलात्कार किया गया था और उन्होंने परिवार के शेष सदस्यों पर अत्याचार भी किए। सदस्य बलात्कार पीड़िताओं और जख्मी लोगों से मिली और उन्हें निष्पक्ष और तत्काल जांच का भरोसा दिलाया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक और उसकी टीम से मामले की उचित रूप जांच करने को कहा ताकि पीड़िताओं को शीघ्र न्याय मिल सके। जिला मजिस्ट्रेट ने पीड़िताओं की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का भी आश्वासन दिया। श्रीमती शर्मा मेडिकल कॉलेज भी गई जहां पीड़िताओं को भर्ती किया गया था। ड्यूटी पर डायरेक्टर और डॉक्टरों ने उन्हें परिवार को बेहतर मेडिकल सहायता देने का आश्वासन दिया।

सदस्यों के दौरे

❖ सदस्या सुषमा साहू श्री रमन, अध्यक्षा के निजी सचिव के साथ आयोग में प्राप्त एक शिकायत की जांच करने के लिए कोयम्बटूर गई। ● सदस्या सुश्री मृदु के साथ नई दिल्ली में नारी निकेतन गई। ● सदस्या सुश्री गीता राठी, टेक्नीकल एक्सपर्ट (विधि) (जूनियर) के साथ एक समाचार पत्र की इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए आगरा गई कि आगरा का एक निवासी, जो शौर्य पुरस्कार का प्राप्तकर्ता भी था, पुलिस उदासीनता का शिकार है। इस सम्बन्ध में टीम पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों से मिली। सदस्यों ने एस. एच.ओ., मोनटोला से शिकायत के बारे में पूछताछ की। एस.एच.ओ. ने सूचित किया कि कार्यवाही की जा रही है। ● श्रीमती साहू परामर्शदाताओं, श्री सर्वेश कुमार पांडे और स्मिता झा के साथ इलाहाबाद में एक जन सुनवाई में उपस्थित हुई। जन सुनवाई में 44 मामले लिए गए थे, उनमें से 32 मामले बंद कर दिए गए और 12 मामलों में तत्काल कार्यवाही के लिए पुलिस प्राधिकारियों को निदेश दिए गए। 13 मामलों को वहीं पर लिया गया और अग्रेतर कार्यवाही के लिए उन्हें पुलिस प्राधिकारियों को भेजा गया। ● सदस्या राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, वरिष्ठ समन्वयक, कंचन खट्टर और परामर्शदाताओं के साथ 19 सितम्बर को नई दिल्ली में एक जन सुनवाई में उपस्थित हुई जिसमें अध्यक्षा और सदस्या ने शिकायतकर्ताओं और दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकार के वकीलों की उपस्थिति में लगभग 80 शिकायतों को सुना।

सदस्या सुषमा साहू इलाहाबाद में जन सुनवाई के दौरान

❖ सदस्या रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल में दम दम सुधार गृह का निरीक्षण किया। इसमें 368 संवासी रहती हैं। ● बाद में वह अलीपुर जेल गई जिसकी 32 गैर सरकारी संगठन मदद करते है। यद्यपि इस गृह में अधिक भीड़–भाड़ है परंतु महिलाएं प्रसन्न दिखाई देती हैं। संवासियों के लिए अनेक कोर्सेस जैसे बेकिंग, सिलाई, पेंटिंग, कशीदाकारी, मोमबत्ती बनाना आदि चलाए जाते हैं। ● श्रीमती शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित बड़े पैमाने पर महिला जन सुनवाई में उपस्थित हुई। इसमें 50 शिकायतों पर सुनवाई हुई। इनमें से अधिकांश को सुलझा दिया गया और शेष को अग्रेतर कार्यवाही हेतु पुलिस को भेज दिया गया। सदस्या राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नानकपुरा, दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ में आयोजित एक दूसरी जन सुनवाई में उपस्थित हुई। ● श्रीमती शर्मा वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा आयोजित "बालिका बचाओ" कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर बोलती हुई सदस्या ने लोगों को कहा कि वे अपनी पुत्रियों के विवाह में दहेज देने के बजाए उन्हें शिक्षित करें। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि नई पीढ़ियों के लिए अनेक अवसर हैं और उन्हें अपने लक्ष्य पर केन्द्रित रहना चाहिए।

सदस्या रेखा शर्मा "बालिका बचाओ" कार्यक्रम में बोलती हुई

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा बेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110025 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली–110005 द्वारा मुद्रित।